

पत्रांक :-
प्रेषक,

रा0खा0आ0* (विविध)-22/2022 - 894

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

आयोग के चतरा एवं कोडरमा जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त
शिकायतों/सुझावों के संबंध में।

राँची, दिनांक:- 6.11.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक-10.08.2023 से दिनांक-12.08.2023 तक चतरा एवं कोडरमा जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सुनवाई/जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। उक्त के क्रम में आयोग के संज्ञान में आये निम्न मामलों में विभाग से पत्राचार किये जाने का निदेश प्राप्त है:-

1. चतरा जिला में निरीक्षण के दौरान बिरहोर परिवारों को PDS के तहत मिलने वाला राशन ससमय नहीं मिलने एवं पूर्व में कुछ माह का राशन गबन कर लिये जाने से संबंधित मामला आयोग के संज्ञान में आया।
2. चतरा जिला में जनसुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष यह बात संज्ञान में लाई गई कि अपवाद पंजी के माध्यम से वितरित किये जाने वाले अनाज का ईन्ट्री ऑनलाईन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अलॉउटमेन्ट नहीं मिल पाता है।
3. नेटवर्क की समस्या रहने के कारण लाभुकों के अनाज से वंचित रह जाने का मामला भी आयोग के संज्ञान में आया। आयोग का सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है उन क्षेत्रों में अपवाद पंजी अथवा अन्य माध्यम से राशन का वितरण कराया जा सकता है, ताकि किन्हीं की भूख से मृत्यु न हो।
4. मुखिया संवाद के दौरान चतरा जिला के डीलरों द्वारा राशन का वजन करते समय पत्थर एवं बटखरा का इस्तेमाल किये जाने, लाभुकों को कम राशन देने, डीलर द्वारा धमकी दिये जाने आदि से संबंधित शिकायतों की गई। साथ ही प्रत्येक राशन दुकान में CCTV कैमरा लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
5. कोडरमा जिला के मुखियागण द्वारा जिले में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी समिति गठित नहीं रहने की बात कही गई।

अतः अनुरोध है कि आयोग के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आये उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-चतरा एवं कोडरमा जिला भ्रमण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार)

सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।